

मूल वाद में अन्तिम डिक्री

बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

ठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

करण संख्या :- 184/2023

द पत्र अं. धारा 53 आर.टी.ए.

रामराम पुत्र खानराम जाति बाजीगर साकिन पतली तहसील सादूलशहर जिला श्रीगंगानगर।

वादी

बनाम

1. मल सिंह पुत्र हरिसिंह जाति मजहबी निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
2. हरदमसिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
3. मखन सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह जाति मजहबी निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया।
4. ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम जाति बावरिया साकिन रसगन हाल आबाद वार्ड नं. 26 संगरिया।
5. रोशनी देवी पत्नी ओमप्रकाश जाति बावरिया साकिन रसगन हाल वार्ड नं. 26 संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
6. छोटोकौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी गुरसाहब सिंह जाति मजहबी साकिन जण्डवाली सांसीयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़।
7. मलकीतकौर पुत्री महेन्द्र सिंह पत्नी गुरजीत सिंह जाति मजहबी निवासी 7 वाली आबादी गुरुसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
8. पी.एन.बी.बैंक शाखा सादूलशहर जरिए मैनेजर।
9. बी.ओ.बी. शाखा संगरिया जरिए मैनेजर।
10. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

दिनांक :- 11.8.2023

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जाकिन मुदई श्री .....वकील मिन जानिब मुदायला पेश-होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

म काशतकार मय वल्लिदयत एवं सकूनात	चक का नाम खातों का विवरण	वर्तमान में कब्जा काशत अनुसार काशतकार का नाम	कब्जा काशत अनुसार रकबा
ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम 0.687 जाति बावरिया सा. रसगन तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल आबाद संगरिया, राहिन 0.37 हि केनरा बैंक शाखा संगरिया 2. रोशनीदेवी पत्नी ओमप्रकाश 0.229 हि सा. रसगन तहसील मुण्डावर जिला अलवर हाल आबाद संगरिया, 3. छोटोकौर पुत्री महेन्द्रसिंह 0.137 हि जाति मजहबी सा. जण्डवाला सिखान राहिन 0.137 हि बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया, 4. मलकीतकौर पुत्री महेन्द्रसिंह 0.37 हि जाति मजहबी सा. जण्डवाला सिखान राहिन 0.137 हि बैंक ऑफ बडौदा शाखा संगरिया, 5. मलसिंह पुत्र हरिसिंह	प.मं. संगरिया के चक 8 एनकेआर के खाता सं. 97/8 खाते का योग 4. 807 हैक (विवादित श्रेणी का है)	रामाराम पुत्र खानराम जाति बाजीगर सा. पतली तहसील सादूलशहर राहिन पीएनबी शाखा सादूलशहर	प.न. 128/150 मु.न. 32 किला नं. 21, 22/0.253 हैं प्र 23/0.240 हैक. प.न. 127/150 मु.न. 33 किला नं. 25/1/0.127 हैं 25/2/0.013 हैं गै.मु खाला प.न. 128/151 मु.न. 39 किला नं. 1, 2, 3/0.253 हैं प्र 10/0.211 हैं कुल 1.856 हैं नहरी मय गै.मु
		ओमप्रकाश पुत्र गंगाराम 0.687 हि जाति बावरिया सा. रसगन राहिन केनरा बैंक शाखा संगरिया, छोटोकौर पुत्री महेन्द्रसिंह 0.137 हि जाति मजहबी सा. जण्डवाला सिखान, मखनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 0.138 हि	प.न. 127/150 मु.न. 33 किला नं. 16/1/0.228 हैं 16/2/0.025 हैं 25/1/0.101 हैं 25/2/0.012 हैं गै.मु खाला प.न. 127/151 मु.न. 38 किला नं. 5/1/0.228 हैं 5/2/0.025 गै.मु खाला 6/0.253 हैं प.न. 128/150 मु.न. 32 किला नं. 12, 18, 19, 20/0.253 हैं प्र 23/0.013 हैं प.न. 128/151 मु.न. 39 किला नं. 8, 9/0.253 हैं प्र 10/0.042 हैं 11, 12/0.253 हैं प्र कुल 2.951 हैं नहरी मय गै.मु

सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
संगरिया

87 हि जाति मजहबी सा.  
जण्डवाला सिखान, 6. रामाराम  
खानराम 1.856 हि जाति  
राहिन 1.856 हि पंजाब  
नल बैंक शाखा सादूलशहर, 7  
दमसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 0.936  
जाति मजहबी सा. जण्डवाला  
खान राहिन 0.809 हि बैंक  
फ बडौदा शाखा संगरिया 8.  
खनसिंह पुत्र महेन्द्रसिंह 0.138  
जाति मजहबी सा. जण्डवाला  
खान,

जाति मजहबी सा.  
जण्डवाला सिखान,  
मलकीतकौर पत्नी  
महेन्द्रसिंह 0.137 हि  
जाति मजहबी सा.  
जण्डवाला सिखान,  
राहिन बीओबी बैंक  
शाखा संगरिया,  
मलसिंह पुत्र हरीसिंह  
0.687 हि जाति  
मजहबी सा. जण्डवाला  
सिखान, रोशनीदेवी  
पत्नी औमप्रकाश 0.229  
हि जाति बावरिया सा.  
रसगन, हरदमसिंह पुत्र  
महेन्द्रसिंह 0.936 हि  
जाति मजहबी सा.  
जण्डवाला सिखान  
राहिन बीओबी शाखा  
संगरिया



अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उसका वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंषा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/3242 दिनांक 29.08.2025 एवं पत्रांक 2139 दिनांक 11.06.2025 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रील दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।  
निज  मुब्लिक  बाबत  खर्चा मुकदमे के मय शूद चा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसब मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 11.8.2025.....को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)  
सहायक न्यायाधीश एवं  
समाखण्ड अधिकारी,  
संगरिया